राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नर्सिग/नर्स–2(F)/आई–III/2021/ दिनांकः–

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक/कार्मिकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कोर्स/परीक्षा में आवेदन करने/सम्मिलित होने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	कोर्स/परीक्षा
1	प्रेमलता, नर्स श्रेणी द्वितीय	मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर	इग्नू द्वारा आयोजित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने की अनुमति
2	अनिता कुमारी, नर्स श्रेणी द्विती	राजकीय बीडीके अस्पताल, झुझुंनू	इग्नू द्वारा आयोजित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने की अनुमति
3	श्रीमती सम्पत बैरवा, नर्स श्रेणी द्वितीय	सआदत चिकित्सालय, टोंक	पोस्ट बेसिक बीएससी अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 में बैठने/सम्मिलित होने की अनुमति
4	श्रीमती किरण पंवार, नर्स श्रेणी द्वितीय	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	पोस्ट बेसिक बीएससी अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 में बैठने/सम्मिलित होने की अनुमति

क्रम संख्या 3 से 4 पर अंकित कार्मिकाओं को उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I Jaipur Dated 22.02.2021 के क्रम में जारी की जा रही है।

शर्तेः–1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा दिवस का नियमानुसार अवकाश स्वीकृत का आवेदन/स्वीकृति प्राप्त कर ही परीक्षा में सम्मिलित होगी तथा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानो की पूर्ण पालना की जावेगी।
6. राज्य हित में कभी भी उक्त स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I Jaipur Dated 22.02.2021 की पूर्णतया पालना की जावेगी।
8. उक्त कोर्स में चयन होने पर नियमानुसार कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण करना होगा।
9. उक्त कोर्स हेतु इग्नू द्वारा निर्धारित prospectus के अनुसार practical & viva voice examination हेतु निर्धारित अवधि का नियमानुसार अवकाश निदेशालय स्तर से ही स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेगें।
10. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

नोट–उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले मे यह आदेश लागू नही होगा।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक नर्सिग/नर्स–2(F)/आई–III/2021/686 दिनांकः–7/5/21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
2. संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान, राजस्थान।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर